

**अनुदान संख्या 65 - खान मंत्रालय**  
**GRANT No. 65-MINISTRY OF MINES**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-	14,00	7,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-6,44
स्वीकृत-	Voted-		6,24
मूल	Original 551,46,00	579,55,00	562,05,44
पूरक	Supplementary 28,09,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-17,49,56
			12,89,37
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>		
स्वीकृत-	Voted-	38,40,00	32,72,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-5,67,82
			3,17,75

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (1749.56 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 2809.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"		
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas		
मू.	O.	1490.00	
पु.	R.	-1490.00	

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1749.56 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of Rs.2809.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

.. .. .

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "2853"	Major Head "2853"			
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O.	52158.00		
पू.	S.	2809.00	55096.63	54676.68
पु.	R.	129.63		-419.95

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

(I) 1490.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1325.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता" - 625.00 लाख रु.;

(खा) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - अनुसंधान और विकास - प्रयोगशाला अनुसंधान - 120.00 लाख रु.;

(गा) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण" - 200.00 लाख रु.;

(घा) "भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज" - 190.00 लाख रु.; और

(ड) "खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो" - 190.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1490.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.1325.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India - Direction and Administration - Administrative Support" - Rs.625.00 lakhs;

(B) "Geological Survey of India - Research and Development - Laboratory Research - Rs.120.00 lakhs;

(C) "Geological Survey of India - Survey and Mapping - Ground, Aerial and Marine Survey" - Rs.200.00 lakhs;

(D) "Geological Survey of India - Mineral Exploration - Economic Minerals" - Rs.190.00 lakhs; and

(E) "Regulation and Development of Mines - Bureau of Mines - Indian Bureau of Mines" - Rs.190.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “2853” - “खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम” के अंतर्गत 850.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 25.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 875.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 337.18 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अनुमोदित परियोजनाओं के कम संख्या में प्राप्त होने और एफआरबीएम अधिनियम के आवेदन विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2853” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(का) “भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण” -

(क) “अनुसंधान और विकास - प्रयोगशाला अनुसंधान” - 215.73 लाख रु. की बचत (630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) “सर्वेक्षण और मानचित्रण - जमीनी, हवाई एवं समुद्री सर्वेक्षण” - 1030.05 लाख रु. की बचत (4600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कम कार्य होने और संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) “खनिज अन्वेषण - आर्थिक खनिज” - 407.82 लाख रु. की बचत (1460.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों को अंतिम रूप न दिए जाने और मशीनरी और उपस्कर के रख रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घ) “अन्य व्यय” -

(i) “विभिन्न प्रचालनों पर विविध मुख्य व्यय” - 316.92 लाख रु. की बचत (1040.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रकाशनों के मुद्रण में विलंब होने, विदेशी प्रकाशकों से बिल प्राप्त न होने,

(II) Under Major Head “2853” – “Regulation and Development of Mines – Mineral Exploration - Science & Technology Programme” – the original provision of Rs.850.00 lakhs was augmented to Rs.875.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.25.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.337.18 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less number of approved projects and late receipt of application of FRBM Act.

(III) Under Major Head ‘2853’ – savings also occurred under the following heads:-

(A) “Geological Survey of India” –

(a) “Research and Development -Laboratory Research” – saving of Rs.215.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and economy measures.

(b) “Survey and Mapping – Ground, Aerial & Marine Survey” – saving of Rs.1030.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4600.00 lakhs) was due to less work in North Eastern Areas and reduction of provision at revised estimates stage.

(c) “Mineral Exploration – Economic Minerals” – saving of Rs.407.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1460.00 lakhs) was due to non-finalisation of supplies, requirement of less funds towards maintenance of machinery and equipments and reduction of provision at revised estimates stage.

(d) “Other Expenditure” –

(i) “Miscellaneous Major Expenditure on different Operations” – saving of Rs.316.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1040.00 lakhs) was due to

संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

- (ii) “सूचना और प्रौद्योगिकी” - 152.99 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, एमपीएलएस-वीपीएन-लीज के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड से बिल प्राप्त न होने/ उन्हें अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “खानों का विनियमन और विकास - खनिज अन्वेषण - खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड द्वारा खनिज अन्वेषण कार्य” - 435.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(IV) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 120.04 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत और 62 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2922.80 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष “2853” के अंतर्गत 2113.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) “भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण - निदेशन और प्रशासन - प्रशासनिक सहायता” - 1977.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1895.02 लाख रु. था।

(II) “खानों का विनियमन और विकास - खान ब्यूरो - भारतीय खान ब्यूरो” - 945.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 870.09 लाख रु. था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

delay in printing of some publication, non-receipt of bills from foreign publishers, reduction of provision at revised estimates stage and economy measures.

- (ii) “Information and Technology” – saving of Rs.152.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage, non-receipt/finalisation of bills from BSNL for MPLS-VPN-Lease and economy measures.

(B) “Regulation and Development of Mines - Mineral Exploration – Mineral Exploration work by Mineral Exploration Corporation Ltd.” – saving of Rs.435.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to approval of less number of projects.

(IV) Under two heads savings of Rs.120.04 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 45 percent and 62 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.2922.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2113.00 lakhs under Major Head “2853” – under the following heads:-

(I) “Geological Survey of India – Direction and Administration – Administrative Support” – Rs.1977.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1895.02 lakhs.

(II) “Regulation and Development of Mines – Bureau of Mines – Indian Bureau of Mines” – Rs.945.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.870.09 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas			
मू.	O.	300.00	..	..
पु.	R.	-300.00	..	..
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries			
मू.	O.	3540.00	3522.25	3272.18
पु.	R.	-17.75		-250.07

(I) 301.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 300.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4853" - "खनिज अन्वेषण और विकास - अन्य व्यय - पूंजीगत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 266.82 लाख रु. की बचत (3539.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक तथा अन्य पूर्तिकारों से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.301.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Geological Survey of India" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "4853" - "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Acquisition of Capital Assets" - saving of Rs.266.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3539.00 lakhs) was due to non-receipt of bills from Director General of Supplies and Disposals and other suppliers.